भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 713
उत्तर देने की तारीख: 24/07/2025

ईएमआरएस का कौशल उन्नयन

713. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की कुल संख्या कितनी है, पिछले एक वर्ष के दौरान स्थापित ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है और निर्माणाधीन विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का ईएमआरएस के पाठ्यक्रम में आधुनिक कौशल और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण मॉड्यूल शामिल करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्यालयों के संचालन और प्रबंधन में सरकार के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय जनजातीय समुदायों के प्रति सहानुभूति और छात्रों के साथ प्रभावी संवाद सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय अपनाए गए हैं; और

(ङ) ईएमआरएस के लिए वर्तमान और भविष्य की विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा लक्षित राज्य या जिले कौन से हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) देश में, वर्तमान में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की राज्य-वार स्थिति, पिछले एक वर्ष के दौरान स्थापित ऐसे विद्यालयों की संख्या तथा निर्माणाधीन विद्यालयों की संख्या अनुलग्नक-I पर है।

(ख) जनजातीय छात्रों को डिजिटल और कौशल-आधारित शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए मंत्रालय अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर कई पहलों को क्रियान्वित कर रहा है। इन पहलों में शामिल हैं:

i. सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूलों को कौशल आधारित विषय शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, विपणन और बिक्री, सौंदर्य और स्वास्थ्य, डेटा विज्ञान आदि शामिल हैं।

ii. आईआईटी-जेईई और एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कोचिंग प्रदान करने की पहलें शुरू की गई हैं, जिससे जनजातीय छात्रों को उनकी तैयारी बेहतर करने और देश भर के प्रमुख इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश पाने की उनकी संभावनाओं में सुधार करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा रही है।

iii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईईटीवाई) की ईआरएनईटी के साथ साझेदारी में स्थापित डिजिटल बोर्ड से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान।

iv. वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य के लिए अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर (एएफई) कार्यक्रम एक व्यापक पहल है। आवर ऑफ कोड और कोड-ए-थॉन जैसे इंटरैक्टिव मॉड्यूल के माध्यम से व्यावहारिक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (एलएलएफ) ने 430 ईएमआरएस में एएफई कार्यक्रम लागू किया है ताकि छात्र प्रोग्रामिंग और समस्या समाधान में आवश्यक कौशल हासिल कर सकें।

v. छात्रों को व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) के सहयोग से 200 ईएमआरएस में 400 कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना।

vi. दूरस्थ स्थानों में भी गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सीआईईटी-एनसीईआरटी द्वारा विशेष रूप से ईएमआरएस छात्रों के लिए एक समर्पित डीटीएच टीवी चैनल - एकलव्य (चैनल संख्या 32) विकसित किया गया है, जो कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षण और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 2018-19 तक, ईएमआरएस का प्रबंधन संविधान के अनुच्छेद 275(1) के माध्यम से अनुदान सहायता योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। इसके बाद, 2018 में इस योजना को नया रूप दिया गया। इस संशोधित योजना ने ईएमआरएस को एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना में परिवर्तित कर दिया, जो सुव्यवस्थित शासन और एकरूपता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और प्रबंधित है। सरकार ने ईएमआरएस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे और भर्ती से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ सहयोग।

(ii) निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा ईएमआरएस भवनों के निर्माण और संबंधित सुविधाओं में तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसियों और राज्य ईएमआरएस सोसायटियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें।

(iii) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए केन्द्रीय स्टाफ भर्ती की जाती है, जिससे स्कूलों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त कार्मिक सुनिश्चित हो सकें।

(iv) शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं।

(v) संसाधन-संबंधी देरी को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन और निधियों का समय पर संवितरण।

(vi) चुनौतियों का समाधान करने और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा और निरीक्षण की प्रणाली की स्थापना।

(vii) शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण मानकों में एकरूपता लाने के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम, डिजिटल उपकरण और नियमित प्रशिक्षण की शुरूआत।

(घ) शिक्षकों की भर्ती के लिए, विशेष राज्य में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष पोस्टिंग (तैनाती) के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार दी जाती है:

(i) क) अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों को गृह राज्य (उनके गृह जिले को छोड़कर) दिया जाता है

ख) अजजा पुरुष उम्मीदवारों पर उसके बाद (अगली बार) विचार किया जाएगा

ग) सभी महिलाओं पर उसके बाद (अगली बार) विचार किया जाएगा

(ii) स्कूलों/प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध भाषा शिक्षकों के माध्यम से स्थानीय भाषा दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भर्ती किए गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य की क्षेत्रीय भाषा दक्षता आवश्यकता को भी पूरा (पास) करना आवश्यक है। इससे छात्रों के साथ बेहतर संवाद सुनिश्चित होगा।

(iii) क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भी भर्ती की जाती है।

(ङ) केंद्र सरकार ने देश भर में 728 ईएमआरएस को स्वीकृति दी है। आज की तारीख तक 722 स्कूल स्वीकृत हो चुके हैं और 479 स्कूल कार्यरत हैं। वर्तमान में, ईएमआरएस के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक I

श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा “ईएमआरएस का कौशल उन्नयन” के संबंध में उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 713 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित **अनुलग्नक I**

ईएमआरएस का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	15.07.2025 तक कार्यात्मक ईएमआरएस की संख्या	ईएमआरएस को 2024-25 में कार्यात्मक बनाया गया है	15.07.2025 तक निर्माणाधीन ईएमआरएस
1	आंध्र प्रदेश	28	-	7
2	अरुणाचल प्रदेश	5	-	3
3	असम	1	-	6
4	बिहार	2	2	1
5	छत्तीसगढ़	75	1	21
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	-	1
7	गुजरात	38	4	11
8	हिमाचल प्रदेश	4	-	1
9	जम्मू एवं कश्मीर	6	-	3
10	झारखंड	51	44	34
11	कर्नाटक	12	-	0
12	केरल	4	-	1
13	लद्दाख	-	-	0
14	मध्य प्रदेश	63	-	18
15	महाराष्ट्र	37	-	15
16	मणिपुर	5	-	12
17	मेघालय	-	-	13
18	मिजोरम	11	5	2
19	नागालैंड	3	-	19
20	ओडिशा	47	15	50
21	राजस्थान	30	-	1
22	सिक्किम	4	-	0
23	तमिलनाडु	8	-	1
24	तेलंगाना	23	-	3
25	त्रिपुरा	6	-	10
26	उत्तर प्रदेश	3	1	0
27	उत्तराखंड	4	-	2
28	पश्चिम बंगाल	8	1	0
	कुल योग	479	73	235

*****